11.9.19

पत्रावली पेश हुई। बहसान उभय। वकील वादीगण ने निवेदन किया है प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त विधिमान्य प्रस्ताव पर कोई ऐतराज आपत्तिजनक नहीं है अतः विधिमान्य प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी किया जाना चाहिये है। पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन पश्चात पाया है कि विधिमान्य प्रस्ताव पर कोई ऐतराज आपत्ति दर्ज नहीं अतः विधिमान्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी करने का आदेश दिया जाता है। अन्तिम निर्णय व डिक्री पक्षकार से रजिस्टर करवाया जाकर आगे पत्रावली किया गया। पत्रावली कमल कुमार होकर नागर से कम है व वादिनि उपस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.09.17 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested